

पत्र क्रमांक ५१८८
पंक्ति (चि.) (६)

०७-३-१७

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग
क्रमांक-प. 10(19)आयु./2004 पार्ट

जयपुर दिनांक 20/01/2017

:: - आदेश - ::

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.12.2015 को आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग में विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु एक वर्ष के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसकी पालना में निदेशक आयुर्वेद विभाग ने आदेश क्रमांक 160-212 दिनांक 04.01.2016 द्वारा निम्न आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने के लिये कार्यमुक्त किया गया।

एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर इस विभाग के पत्र दिनांक 03.01.2017 द्वारा आयुक्त पंचायत राज विभाग, जयपुर को तत्काल मूल विभाग में कार्यमुक्त करने हेतु लिखा गया, किन्तु आज दिनांक तक पालना नहीं किये जाने के फलस्वरूप निदेशानुसार संबंधित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी हाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि बिना किसी विलम्ब के आप अपना पद एवं कार्यभार त्यागकर तत्काल मूल विभाग में उपस्थित हों, सात दिवस में पालना नहीं किये जाने पर निलम्बन की कार्यवाही करते हुये राजस्थान असेनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अन्तर्गत इनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।

क्र. सं.	नाम आयुर्वेद चिकित्साधिकारी	पिता का नाम	पूर्व पदस्थापन स्थान	निदेशालय की कार्यमुक्ति दिनांक	प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने की दिनांक
1.	जगदीश प्रसाद शर्मा	महेश चन्द शर्मा	थून, भरतपुर		29.11.2016
2.	मनोहर लाल शर्मा	श्री चिरजी लाल शर्मा	माझावास, भीलवाडा	30.11.2015	03.01.2017
3.	दिनेश कुमार शर्मा	श्री विष्णु सहाय शर्मा	खवारानी, जयपुर	04.01.2016	03.01.2017
4.	विनोद कुमार वर्मा	श्री चेताराम वर्मा	नेशल, चुरू	04.01.2016	03.01.2017
5.	पुरुषोत्तम लाल गौतम	श्री रामकिशोर गौतम	आयु.चिकि. सवाईमाधोपुर	04.01.2016	03.01.2017
6.	रामखिलाडी मीणा	श्री मीठालाल मीणा	बालेर सवाईमाधोपुर	04.01.2016	20.01.2017
7.	नरेन्द्र कुमार आचार्य	श्री रामेश्वर आचार्य	गोगाथला, राजसमंद	21.01.2016	03.01.2017
8.	पवन कुमार भातरा	श्री सुरेन्द्र कुमार भातरा	ठीकरिया, शीतलदास सीकर	04.01.2016	03.01.2017
9.	नरेश कुमार शर्मा	श्री रामसहाय शर्मा	आयु.चिकि., करौली	04.01.2016	03.01.2017
10.	राजेश कुमार वर्मा	श्री ईश्वर लाल वर्मा	शाहपुरा, जयपुर	04.01.2016	03.01.2017
11.	पप्पूलाल मीणा	श्री रामकिशोर	देलवाडा त. घाटोल बांसवाडा	04.01.2016	03.01.2017
12.	रमेश चन्द मीणा	श्री रामकिशोर मीणा	राज.आयु.औष. माटियां बांसवाडा।	04.01.2016	03.01.2017
13.	कल्याण प्रसाद मीना	श्री सुखजी मीना	सिनला, पाली	04.01.2016	03.01.2017
14.	शिवराम मीना	श्री गंगासहाय मीणा	साँथा, दौसा	04.01.2016	03.01.2017
15.	समय सिंह मीना	श्री बीरबल मीना	मेडता रोड, नागौर	04.01.2016	03.01.2017
16.	बृजेश चन्द पाराशर	श्री रतन लाल पाराशर	मंसारी, अलवर	04.01.2016	03.01.2017

कार्यालय का पता :- मुख्य भवन, कमरा नं. 4205 शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. 0141-5116332
ई-मेल आई.डी. dsayurved@yahoo.in

D:\Ayurved\O P Verma\SANDEEP NEW LETTER DD.doc

17.	शिवसिंह पोसवाल	श्री राधामोहन गुर्जर	वामनबडौदा	04.01.2016	03.01.2017
18.	रामवतार शर्मा	श्री विशम्भर दयाल शर्मा	सणपा मानजी, बाडमेर	04.01.2016	03.01.2017
19.	विजय प्रकाश शर्मा	श्री नवरंग लाल शर्मा	जैतपुरा, झुंझुनू	04.01.2016	03.01.2017
20.	राजेन्द्र कुमार गुप्ता	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	बिन्जारी, सवाईमाधोपुर	04.01.2016	03.01.2017
21.	समय सिंह	श्री रामनिवास	राजगढ, अलवर	12.01.2016	11.01.2017
22.	देवकरण	श्री मूलचन्द शर्मा	हाथीदिलोद, बांरा	04.01.2016	03.01.2017
23.	मदन लाल बैरवा	श्री कजोडीलाल	धनावड़, दौसा	04.01.2016	03.01.2017

(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
3. आयुक्त ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग जयपुर को.
4. संबंधित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी हाल प्रतिनियुक्ति विकास अधिकारी को मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को देकर लेख है तत्काल आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांकप.1/प्रति1/चिकि./पंचा.राज/40/2015/4988-5014 दिनांक 07.03.2017

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त, ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग, राजस्थान-जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि उक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को इस विभाग हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करावे।
2. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर।
3. संबंधित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी हाल विकास अधिकारी द्वारा संबंधित विकास अधिकारी को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि राज्यादेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करे।
4. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि आज ही विभागीय बैबसाइट पर प्रकाशन करावे।
5. सामान्य-पत्रावली।

(प्रकाश शर्मा)
निदेशक